213

संख्या : 182/IV(2)–श0वि0–12–03(एडीबी)/09

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2012

विषयः **उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यो के सापेक्ष उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण को सेन्टेज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 750/IV(2)–श0वि0–11–03(एडीबी)/09 दिनांक 17–6–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यूयूएसडीआईपी के अन्तर्गत संचालित पेयजल/सीवरेज परियोजनायें, जिनकी पेयजल विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी है, में परियोजना के सिविल कार्यो की लागत का 10 प्रतिशत सेन्टेज राज्य सैक्टर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या यूयूएसडीआईपी/2011–12/985 दिनांक 3–2–2012 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यो के सापेक्ष सेन्टेज के रूप में **₹ 756.18 लाख (₹ सात करोड़ छप्पन लाख अट्ठारह हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि को ए0डी0बी0 से प्रतिपूर्ति धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि में **₹ 756.18 लाख (₹ सात करोड़ छप्पन लाख अट्ठारह हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, उत्तराखण्ड, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
3. एम0ओ0यू0 में प्राविधानित शर्तो के अनुसार सेन्टेज की धनराशि पेयजल निगम को अवमुक्त की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

5. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–2 पर निर्गत आदेश, टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित योजना–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण– 42–अन्य व्यय' की मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 114/XXVII(2)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 182(1)/IV(2)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।